

## फर्द अहकाम


कान्ता व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

पत्र:

367/25

| दिनांक     | आज्ञा विस्तृत रूप से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विशेष विवरण |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 22.05.2025 | <p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम मानसिंहपुरा उर्फ कपुरावाला, पटवार हल्का कपुरावाला, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 167 रकबा 1.3800 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4700 है0 का श्रीमान कलक्टर (भू0अ0) जयपुर के पत्रांक 6114 दिनांक 24.06.2024 की अनुशंषा एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक 14053488 दिनांक 07.03.2025 की पालना में सीमाज्ञान हेतु DGPS मशीन से दिनांक 27.03.2025 को उपस्थित खातेदारो की उपस्थिति में खसरा संख्या 166, 167 का सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम मानसिंहपुरा उर्फ कपुरावाला, पटवार हल्का कपुरावाला, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 167 रकबा 1.3800 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4700 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 27.03.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> |             |



  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**जयपुर द्वितीय (सांगानेर)**